न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 15/2019

1. श्री हेमाराम पुत्र श्री हीरा
2. कानाराम पुत्र श्री भगवान

दोनों जाति गुर्जर, निवासी ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर।

.......निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री छीतर, निवासी माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत माकड़वाली जरिये सरपंच
3. ग्राम पंचायत माकड़वाली जरिये सचिव

......गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच, ग्राम पंचायत माकड़वाली दिनांक 05.02.2019

उपस्थित :–

1– श्री एस पी चौधरी वकील निगरानीकर्ता की ओर

2– श्री राजीव सक्सेना, वकील अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–27.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि सरपंच ग्राम पंचायत माकड़वाली पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री छीतर निवासी ग्राम माकड़वाली के पक्ष में दिनांक 05.02.2019 को आबादी भूमि खसरा नम्बर 2532/4319 स्थित भूखण्ड का पट्टा संख्या 27 बुक संख्या 127 क्षेत्रफल 150 वर्गगज जारी कर दिया। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत, माकड़वाली द्वारा श्री नारायण गुर्जर पुत्र श्री औकार गुर्जर निवासी ग्राम माकड़वाली के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रिकॉर्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अभिभाषक ने दिनांक 21.01.2021 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अप्रार्थी संख्या 1 को

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

निर्माण कार्य सो पाबन्द किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। इस प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुना गयाा। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र, निगरानी प्रस्तुत करने के लगभग 14 महीने बाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित पट्टा भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गयाा है, प्रार्थी ने उक्त विवादित पट्टे को निरस्त करने बाबत ही निगरानी प्रस्तुत की है अतः अप्रार्थी संखया 1 द्वारा निर्माण किये जाने के कारण निगरानी प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थनापत्र व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा विवादित पट्टा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निर्माण कराये जाने बाबत साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी निरस्त किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री राजीव सक्सेना ने दिनांक 11.11.2022 को प्रार्थनापत्र पत्र वास्ते प्रकरण को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 02.04.2025 को उभयपक्ष को सुना जाकर वकील अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन व औचित्यहीन होने से निरस्त किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार नें निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि सरपंच ग्राम पंचायत माकड़वाली द्वारा जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। विवादित खसरा नम्बर 2532/4319 पर प्रार्थीगण का कदीमी व पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है, मौके पर दो कोटड़ी का निर्माण भी किया हुआ है तथा तारबन्दी भी की गयी है। उपरोक्त पट्टे को जारी करते समय सरपंच ने अपने परिवार के सदस्यों से ही अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करवा दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में मौका रिपार्ट का कॉलम भी रिक्त होने के बावजूद भी आवेदन के अन्त में वार्ड पंच द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पट्टा जारी करवा दिया। साथ ही आवेदन की जाँच संवीक्षा पर केवल वार्ड पंच के हस्ताक्षर है, सरपंच या पटवारी के नहीं। जारी किये गये पट्टा नम्बर 27 दिनांक 05.02.2019 में खसरा नम्बर का भी अंकन नहीं किया गया है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत माकड़वाली द्वारा विवादित खसरा नम्बर पर प्रार्थीगण का कदीमी कब्जा, निर्माण व तारबन्दी तथा पट्टा जारी करने में विभिन्न अनियमितताओं के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आक्षेपित पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.02.2019 जारी किया गया जो कि निरस्त योग्य है।

वकीन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नोटिस तामिल होने के उपरान्त तथा जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जबाब निगरानी प्रस्तुत नहीं किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टा दिनांक 05.02.2019 ग्राम पंचायत माकड़वाली द्वारा अप्रार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री छीतर के पक्ष में जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा उक्त आक्षेपित पट्टा को निरस्त करने हेतु यह कथन किया है कि यह पट्टा खसरा

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते
अपर कलक्टर
अजमेर

नम्बर 2532/4319 का भाग है जिस पर उसका कदीमी व पुश्तैनी कब्जा किया जाकर दो कोटड़ी का निर्माण व तारबन्दी भी की गयी है, किन्तु निगरानीकार द्वारा अपने दावे की पुष्टि हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य या राजस्व रिकॉर्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि निगरानीकार के कथन की सत्यता की पुष्टि की जा सके। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी याचिका में यह कथन भी किया गया है कि वे ग्राम माकड़वाली के मूल निवासी है परन्तु माकड़वाली व देवनगर दोनों जगह निवास करते है । निगरानीकार द्वारा ग्राम माकड़वाली के मूल निवासी होने बाबत भी किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आक्षेपित पट्टा बाबत ग्राम पंचायत माकड़वाली द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत रूप से श्रीमती कमला देवी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा हमें इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)

(ज्योति ककवानी)

अपर कलेक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

सत्यमेव जयते